मंदिर हटाने पर आक्रोशित भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव

एएसपी, सीओ सहित चार पुलिसकर्मी चोटिल

आबूरोड, (निसं)। सिरोही जिले के आबूरोड के सातपुर में बुधवार को तालाब की पाल पर बने मंदिर को हाईकोर्ट के आदेश के बाद मंदिर व तालाब पर बने अन्य अतिक्रमण को हटाया गया। बुधवार सुबह 6 बजे से पुलिस का भारी जाब्ता सातपुर पहुंचा। जहां एडीएम कालूराम खौड के नेतृत्व में कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस व प्रशासन की भारी मौजूदगी के बीच लोग लगातार नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस व प्रशासन के अधिकारी लगातार लोगों से समझाइश कर रहे थे। जैसे जैसे समय गुजरता गया लोगों की भीड़ मौके पर जमा होती रही।

मौके पर पहुंचे भाजपा ग्रामीण मण्डल के अध्यक्ष दिनेश खंडेलवाल ने प्रशासन से हनुमान जी की मूर्ति को अन्य मंदिर में शिफ्ट करने को कहा जिसपर पुलिस प्रशासन की टीम ने मूर्ति को निकाल सातपुर के अन्य मंदिर में शिफ्ट की। मौके पर जेसीबी की मदद से मंदिर को तोडा। वही तालाब की जद में आ रहे अन्य अतिक्रमण को भी मौके से तोड़ा गया। कार्रवाई के दौरान आबूरोड-सातपुर मार्ग पर लोग जाम लगाकर बैठे रहे। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर बाद भाजपा व हिन्दू संगठनों के नेताओं ने मंदिर तोडे जाने के विरोध में सांकेतिक रूप से गिरफ्तारी दी। पर स्थानीय लोग सड़क पर जमे रहे।

पुलिस ने लोगों से समझाइश की पर लोग नहीं माने तो पुलिस ने सड़क पर बैठें लोगों को उठाया और अपने घर जाने को कहा। आक्रोषित लोग जैसे ही गलियों में गए तो गलियों में जाकर पथराव शुरू कर दिया। पथराव में एएसपी देवाराम चौधरी के नाक पर चोट लगी। वहीं माउंट आबू सीओ योगेश शर्मा के मुँह पर चोट लगी। साथ ही अन्य दो पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। लोगों के पथराव के बाद पुलिस ने मौके पर हल्का बल प्रयोग और लाठीचार्ज किया। गलियों में जाकर पुलिस ने पथराव करने वाले करीब 2 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया। मौके पर कुछ देर के लिए बने तनाव के बाद पुलिस ने शांति स्थापित की। वही इस दौरान पुलिस कार्रवाई का विरोध करने आए भाजपा नेता अरुण परसरामपुरिया पर भी पुलिस ने लाठिया भांजी। घटना की जानकारी मिलने पर जिला कलेक्टर डॉ. भंवरलाल, एसपी ममता गुप्ता भी मौके पर पहुंचे और मौके पर घटना के बारे में जानकारी लेकर राजकीय अस्पताल पहुंचे। जंहा उन्होंने घायल पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों कर बारे में जानकारी ली।

जिला कलैक्टर डॉ. भवरलाल चौधरी ने बताया कि सांतपुर निवासी कांतिलाल उपाध्याय द्वारा हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी कि तालाब की 14 बीघा भूमि पर अतिक्रमण है जिसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। वहीं भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष दिनेश खंडेलवाल ने कहा कि हाईकोर्ट का हम सम्मान करते है पर याचिकाकर्ता द्वारा भी अतिक्रमण कर मकान बनाया गया जिसपर पर कार्रवाई नहीं की गई। जिसके विरोध में गुरुवार को आबूरोड बन्द का आव्हान किया गया है बन्द में सभी हिन्दू संगठन शामिल है।

पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने और प्रशासन द्वारा मंदिर हटाए जाने की जानकारी मिलने पर रेवदर विधायक जगसीराम कोली, आबू-पिण्डवाडा विधायक समाराम गरासिया आबूरोड पहुंचे। जंहा उन्होंने मंदिर तोड़े जाने और पुलिस द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओ और स्थानीय लोगों पर पुलिस द्वारा की गई लाठीचार्ज का विरोध किया। विधायक जगसीराम कोली ने कहा की सरकार हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है और विरोध करने पर लाठीचार्ज की जा रही है। समाराम गरासिया ने कहा कि यह सरकार हिन्दू विरोधी है।

विधायक ने आरोप लगाया की आज जिस प्रकार से घरों में घुस कर पुलिस ने बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है। यह उचित नहीं हो सकता है। मंदिर के टूटने से कुछ आक्रोशित भीड़ ने गलत कदम उठाया हो पर पुलिस को समझाइश से मामला सुलझाया जा सकता था। बच्चों और महिलाओं पर घरों में घुस कर मारपीट की गई है। जिसकी निंदा करते है। पुलिस प्रशासन से मांग की के जिन स्थानीय लोगों को पकडा और भाजपा पदाधिकारियों को हिरासत में लिया है पर वो पथराव में शामिल नहीं थे उन्हें तुरंत छोडा जाए। पुलिस की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा कल आबूरोड बन्द का आव्हान किया गया है।

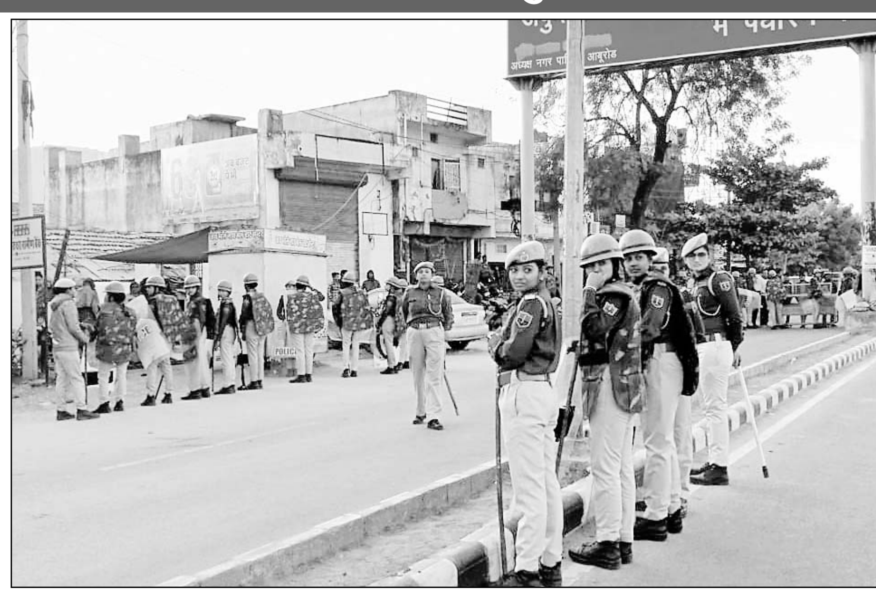

पथराव की घटना के बाद आबूरोड के सांतपुर में पुलिस बल तैनात रहा।

■ **आबूरोड में हाईकोर्ट के आदेश पर हटाया हनुमान मंदिर**

पटवारी एवं उसका दलाल नौ हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी

रामगंजमंडी, (निसं)। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर कोटा इकाई द्वारा बुधवार को कार्यवाही करते हुए प्रीती खूबचंदानी पटवारी पटवार हल्का रीछडिया, अतिरिक्त प्रभार मण्डा, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा को उसके दलाल लेखराज (प्राइवेट व्यक्ति) के माध्यम से परिवादी से 9 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि एसीबी की कोटा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि भूमि का नामान्तकरण खोलने की एवज में प्रीती खूबचंदानी पटवारी द्वारा उसके दलाल लेखराज के माध्यम से 9 हजार रूपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है। इस पर एसीबी, कोटा के पुलिस अधीक्षक आलोक श्रीवास्तव के सुपरवीजन में एसीबी की कोटा इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय स्वर्णकार के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर पुलिस निरीक्षक चन्द्रकंवर एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये प्रीती खूबचंदानी निवासी 2-एफ-18, विज्ञान नगर, कोटा हाल पटवारी पटवार हल्का रीछडिया, अतिरिक्त प्रभार मण्डा, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा को उसके दलाल लेखराज निवासी ग्राम कुदायला, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (प्राइवेट व्यक्ति) के माध्यम से परिवादी से 9 रूपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक हेमन्त प्रियदर्शी के निर्देशन में आरोपी के निवास सहित अन्य ठिकानों की तलाशी एवं पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

घूसखोर प्रीती खूबचंदानी

दलाल लेखराज

उपनिरीक्षक रिश्वत लेते गिरफ्तार

जयपुर, (कासं.)। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर ग्रामीण इकाई द्वारा कार्यवाही करते हुये संगीता मीणा उपनिरीक्षक पुलिस, थाना जमवारामगढ, जयपुर ग्रामीण, जयपुर को परिवादी से 5 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर ग्रामीण इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके विरूद्ध दर्ज प्रकरण में मदद करने की एवज में संगीता मीणा उपनिरीक्षक पुलिस, थाना जमवारामगढ, जयपुर ग्रामीण, जयपुर द्वारा परिवादी से 5 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है। इस पर एसीबी जयपुर ग्रामीण इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आहद खान के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर पुलिस निरीक्षक मानवेन्द्र शर्मा एवं टीम जयपुर ग्रामीण द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये संगीता मीणा निवासी ग्राम रानोली, पुलिस थाना रानोली, जिला सीकर हाल उपनिरीक्षक पुलिस, थाना जमवारामगढ, जयपुर ग्रामीण, जयपुर को परिवादी से 5 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपिया से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

घूसखोर संगीता मीणा

एक रुपया अधिक वसूला, अब चुकाने होंगे 1000 रु.

जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग का फैसला

जोधपुर, (कासं)। ग्राहक से सामान पर अंकित मूल्य से एक रुपया अधिक वसूल करना दुकानदार को महंगा पड गया। जागरूक ग्राहक ने इसका विरोध करते हुए जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग में शिकायत पेश की। इस पर जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग द्वितीय ने एक रुपए के बदले अब एक हजार रुपए ग्राहक को वापस लौटाने का दुकानदार को आदेश दिया है।

मामले के अनुसार पाल लिंक रोड निवासी प्रणव मेहता ने आयोग में परिवाद प्रस्तुत कर बताया कि मुख्य पाल रोड स्थित रिलायंस स्मार्ट पोइंट शोपिंग स्टोर से उसने मार्च, 22 में टूथ ब्रुश खरीद किया। जिस पर 39 रूपये मूल्य अंकित होने के बावजूद बिल में 40 रूपये वसूल किये गये। मैनेजर को शिकायत करने व कानूनी नोटिस दिलाने के बावजूद अधिक ली गई राशि वापस नहीं लौटाई गई। उल्टे उसका मजाक उड़ाया गया। विपक्षी रिलायंस शोपिंग स्टोर द्वारा ज़बाब प्रस्तुत कर बताया गया कि उनके स्टोर के नियमों के अनुसार अधिक राशि वसूल होने पर उनके मैनेजर द्वारा क्षमा मांगते हुए राशि लौटाने के अलावा ग्राहक को एक सौ रूपए अतिरिक्त भुगतान भी किया जाता है। आयोग के अध्यक्ष डॉ श्याम सुन्दर लाटा, सदस्य डॉ अनुराधा व्यास, आनंद सिंह सोलंकी की बैंच ने सुनवाई के बाद निर्णय में कहा कि परिवादी द्वारा मौखिक रूप से मांग करने व अधिवक्ता से नोटिस दिलवाने के बावजूद विपक्षी द्वारा राशि लौटाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यह विवाद मात्र एक रुपये की मामूली राशि की अधिक वसूली का नहीं होकर उपभोक्ता अधिकारों के प्रवर्तन एवं संरक्षण से संबंधित है। विभिन्न आइटमों के इस प्रकार निर्धारित मूल्य पर विक्रेताओं द्वारा छोटी-छोटी राशि के रूप में ग्राहकों से अधिक वसूली करने की नाजायज प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। आयोग ने विपक्षी

रिलायंस स्टोर को अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए दोषी मानते हुए एक रुपया की राशि वापस लौटाने के अलावा परिवादी को क्षतिपूर्ति के रूप में एक हजार रुपए अदा करने का आदेश दिया है। परिवादी को कानूनी कार्यवाही का खर्चा भी विपक्षी स्टोर द्वारा ही भुगतान किया जावेगा।

पुलिस कांस्टेबल की वाहन की चपेट में आने से मौत

टोंक, (निसं)। पुलिस कांस्टेबल हरिराम वर्मा की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया।

जानकारी के अनुसार पीपलू थाना क्षेत्र के नानेर निवासी हरिराम वर्मा पुत्र फूलचंद रैगर जो कि बूंदी पुलिस में कांस्टेबल है, अपने मित्र मुकेश पुत्र प्रहलाद रैगर 28 साल के साथ मोटरसाईकिल पर जा रहा था कि काशीपुरा के पास अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे हरिराम की मौत हो गई और मुकेश घायल हो गया। पीपलू पुलिस ने मृतक कांस्टेबल का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनो को सुपूर्द कर मामले की जांच शुरु कर दी।

चार आरोपियों को आजीवन कारावास

टोंक, (नि.स.)। विशिष्ट न्यायाधीश अनुसूचित जाति, जनजाति (अ.नि.) प्रकरण टोंक ने मेहंदवास क्षेत्र में जमीनी विवाद के मामले में एक जने की केरोसिन डालकर जला देने के बाद इलाज के दौरान मौत होने पर हत्या के दर्ज प्रकरण में 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 5 आरोपियों को बरी करने के आदेश पारित किए।

एसी-एसटी न्यायालय के विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश चौपडा ने बताया कि मामला इस प्रकार है कि 3 नवम्बर 2015 को दोपहर 11 बजे जमीनी विवाद के मामले में आरोपी परिवादी नाथूलाल बैरवा पुत्र कंवरी लाल बैरवा निवासी मेहंदवास के खेत पर सरसों की उगी फसल को ट्रेक्टर से नष्ट करने गए, जिस पर परिवादी के बेटे राजाराम ने मना किया, जिस पर आरोपियों ने पहले मारपीट की और ट्रेक्टर के टब में से केरोसिन की बोतल निकालकर राजाराम पर डाल दी और माचिस लगाकर जला दिया।

इलाज के दौरान जयपुर एसएमएस में राजाराम की तीन-चार दिन के बाद मौत हो गई। राजाराम ने मौत से पहले पुलिस को पर्चा बयान दिया था, जिसके आधार पर मामला दर्ज हुआ है। जिस पर पुलिस ने 31 दिसम्बर 2012 को एफआर लगा दी थी, जिस पर न्यायालय ने 16 सितम्बर 2016 को पुनः प्रसंज्ञान लिया, जिस पर मामला धारा 302 में दर्ज किया गया। जिस पर पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया गया। इस मामले में कुल 9 आरोपियों में से चार आरोपियों मनराज, रामसहाय उर्फ राजू, हंसराज पुत्रान जमनालाल, महावीर पुत्र गोपी जाति बैरवा निवासी मेहंदवास को न्यायालय ने दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं 25-25 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने के आदेश पारित किए। वहीं इस मामले में शेष 5 आरोपियों जगदीश, लालाराम, रुपा देवी, गोपाली, गोपीलाल को दोषमुक्त करते हुए बरी करने के आदेश पारित किए।

हत्या के दर्ज प्रकरण में आजीवन कारावास के आरोपी।

विद्या के मंदिर में शराब-मांस पार्टी

श्रीडूंगरगढ़ में स्टेट हाइवे पर स्थित एक सरकारी स्कूल का मामला

बीकानेर, (निसं)। श्रीडूंगरगढ़ में स्टेट हाइवे पर स्थित एक सरकारी स्कूल की क्लास में स्टूडेंट्स के होश उस समय उड़ गए, जब टेबल पर चिकन-मटन के टुकड़े मिले। इतना ही स्कूल के बाहर शराब की बोतलें भी पड़ी मिली। इसके बाद से स्टूडेंट्स और अभिभावकों में आक्रोश है। बुधवार सुबह श्रीडूंगरगढ़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू की।

भैरव दरबार के लिए प्रसिद्ध तोलियासर के सरकारी स्कूल में मंगलवार को मांसाहार किया गया। इस दौरान शराब पार्टी भी होने की आशंका है। इसकी जानकारी मिलने के बाद से ग्रामीणों में आक्रोश है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 11 के कमरा नम्बर 17 में मांस के टुकड़े मिले थे। साथ ही रोटी व रोटी को पैक करने वाले कागज भी मिले। मौका देखने से पता लगता है कि अज्ञात लोगों ने यहां रात में मांसाहार किया। कुछ लोग क्लास रूम का कुंडा तोड़कर भीतर घुसे है। खाना खाने के बाद हड्डियां, मांस, तंदूरी रोटी आदि वहीं फैंक दिए। स्टूडेंट्स ने ये सब देखा तो प्रिंसिपल व टीचर्स को सूचना दी। सरपंच प्रतिनिधि गिरधारी सिंह राजपुरोहित सहित अनेक ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे। सभी ने रोष जताया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। राजपुरोहित ने कहा कि पूर्व में भी पुलिस को स्कूल में नल आदि तोड़ने की सूचना दी थी परंतु कार्रवाई नहीं हुई।

स्कूल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी है, जिसके बाद मौका मुआयना किया गया। इससे पहले दस सितम्बर को इसी स्कूल में अज्ञात लोगों ने घुसकर कमरों के ताले तोड़ दिए थे। बच्चों के उपयोग का कुछ सामान भी चोरी हो गया था। तब स्कूल प्रिंसिपल ने पुलिस को रिपोर्ट दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये ही कारण है कि चोरों और असामाजिक तत्वों के हौंसले बढ़ते जा रहे हैं।

■ **स्टूडेंट्स क्लास में पहुंचे तो टेबल पर पड़े थे चिकन-मटन के टुकड़े, स्कूल के बाहर शराब की बोतलें**

373 बीघा चरागाह पर बोई गई फसल नष्ट की

मालपुरा, (निसं)। राजस्थान सरकार मे बीसूका उपाध्यक्ष डॉ. चन्द्रभान की जनसुनवाई में प्राप्त शिकायत का निस्तारण करते हुए एसडीएम के आदेशों पर डिग्गी नायब तहसीलदार कैलाश नारायण मीणा के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने बुधवार को 373 बीघा सिवायचक व चरागाह भूमि पर बोई गई फसल को जेसीबी व ट्रेक्टरो सहित मवेशियों की सहायता से नष्ट कर उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया गया।

नायब तहसीलदार कैलाश नारायण मीणा ने बताया कि चरागाह पर अतिक्रमण कर अतिक्रमियो द्वारा फसल जुताई करने की मिली शिकायत पर कार्यवाही करते हुए बुधवार को सरपंच उम्मेद सिंह, पटवारी इन्द्रा चौधरी, लावा पटवारी दिनेश सैनी, कडीला पटवारी बाबूलाल वर्मा, कलमंडा श्रवण लाल बाकडीवाल, चबराना गिरदावर गोपाल खंगार, लावा गिरदावर राजेश कुमार मीणा, डिग्गी थाने के हैड कांस्टेबल सुरेश कुमार, रामसिंह व मालपुरा आरएएसी जवानों के कड़े जाप्ते की मौजूदगी में 11 ट्रैक्टरों व जेसीबी मशीन की सहायता से खड़ी फसल को नष्ट किया गया एवं मवेशियो को फसल में छोडा गया। प्रशासनिक अमले व कड़े पुलिस जाप्ते की उपस्थिति में 373 बीघा चरागाह को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्यवाही की गई जो कि गुरूवार को भी जारी रहेगी।

■ **मालपुरा के चबराना गांव में राजस्व विभाग की टीम ने अतिक्रमण से मुक्त कराई जमीन**

ग्रेवल सड़क का निर्माण किए बिना उठा लिया लाखों रुपये का भुगतान

सायला, (निसं)। सायला के निकट तूरा ग्राम पंचायत में ग्रेवल सडक का निर्माण करवाए बिना लाखों रूपए भुगतान उठाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार तूरा ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2019-20 में तूरा गांव से सोनारिया स्कूल तक ग्रेवल सडक निर्माण के लिए 14.78 लाख रूपये राशि स्वीकृत की गई थी लेकिन माह फरवरी 2022 तक उक्त मार्ग का निर्माण नही किया गया था। जिस पर विकास अधिकारी पंचायत समिति सायला द्वारा 8 फरवरी 2022 को ग्राम विकास अधिकारी सुनील चौधरी को नोटिस भेजकर उक्त अपूर्ण कार्य को पूर्ण करवाने के निर्देश दिए थे। साथ ही नोटिस प्राप्ति के तीन दिवस के भीतर कार्य पूर्ण नही करवाने का ठोस कारण सहित प्रति उत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।

लेकिन ग्राम विकास अधिकारी एवं ठेकेदार की कथित मिलीभगत के चलते उक्त ग्रेवल सडक का निर्माण कार्य कागजों मे ही पूर्ण बताकर दिनांक 29 मार्च 2022 को करीबन 7 लाख 20 हजार रूपये का भुगतान फर्म श्री अंबिका उद्योग के खाते में कर दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि तूरा गांव से सोनारियां स्कूल तक करीबन 4-5 साल से कोई ग्रेवल सडक मार्ग नही बनाया गया है और ना ही किसी प्रकार की मरम्मत करवाई गई है। ऐसे में ग्राम पंचायत द्वारा बिना ग्रेवल सडक का निर्माण करवाए भुगतान उठाकर सरकारी खजाने को चपत लगाई जा रही है।

इस प्रकार किया भुगतान:- ग्राम पंचायत तूरा द्वारा वितीय वर्ष 2019-20 में तूरा गांव से सोनारिया स्कूल तक ग्रेवल सड़क निर्माण के नाम पर फर्म श्री अंबिका उद्योग के खाते में 21 अक्टूम्बर 2022 को बिल संख्या 3 व्यय राशि 242497, बिल संख्या 4 व्यय राशि 242497 एवं बिल संख्या 5 व्यय राशि 235106 का बिल भुगतान किया गया। इस प्रकार ग्राम पंचायत तूरा द्वारा कुल राशि करीबन 7 लाख 20 हजार रूपये का फर्म श्री अंबिका उद्योग के खाते में भुगतान किया गया। वही उक्त बिल 29 मार्च 2022 को भुगतान के लिए ऑनलाइन अपलोड किए गए थे।

जगह जगह बने गड्ढे व रेत जमा:- तूरा गांव से सोनारियां स्कूल तक ग्रेवल मार्ग पर जगह-जगह गड्ढे बन गए है तथा रेत पडी हैं। जिससे वाहनचालकों को आवागमन के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही सड़क किनारे बबूल की कंटीली झाडियां उगने से रास्ता संकरा हो गया है। जिससे पैदल चलने वाले राहगीरों को ग्रेवल सडक मार्ग के बीचों-बीच चलना पड़ रहा है।

ग्रामीणों का कहना हैं कि इस मार्ग पर राजकीय विद्यालय सोनारियां भी आया हुआ है तथा कई कृषि बेरे भी स्थित है। ऐसे में इस मार्ग से आवागमन के दौरान विद्यार्थियों एवं किसानों को परेशानी का सामना करना पडता है।

बलवंतसिंह दहिया, उपसरपंच तूरा का कहना है कि तूरा गांव से सोनारियां स्कूल तक ग्राम पंचायत द्वारा बिना ग्रेवल सडक का निर्माण किए ठेकेदार को भुगतान किया गया है। जिसकी विभागीय जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

सुनील चौधरी, ग्राम विकास अधिकारी तूरा ने बताया कि तूरा गांव से सोनारियां स्कूल तक तीन वर्ष पहले ग्रेवल सडक निर्माण की स्वीकृति मिली थी जो मार्च 2022 में बनाया गया था तथा भुगतान किया गया है। अगर ग्रेवल सडक नही बनी है तो देखते है।

मनमोहन मीणा, विकास अधिकारी, पंचायत समिति सायला ने कहा कि यह मामला मेरी जॉइनिंग से पहले का है। जिसकी जानकारी लेता हूं। अगर बिना ग्रेवल सड़क निर्माण किए भुगतान हुआ है तो नियमानुसार वसूली निकालकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

सायला के निकटवर्ती तूरा-सोनारियां ग्रेवल सड़क मार्ग पर रेत जमी हुई है।

■ **ग्रामीणों का कहना है कि तूरा गांव से सोनारियां स्कूल तक करीब 4-5 साल से कोई ग्रेवल सडक मार्ग नही बनाया गया है और ना ही किसी प्रकार की मरम्मत करवाई गई है**

कार्यालय जिला परिषद राजसमन्द

क्रमांक:-जिपरा/क.लि. भर्ती-2013/प्र.सू.द्वि./2022-23/1940 दिनांक: 23.11.2022

विज्ञप्ति

जिला परिषद राजसमन्द द्वारा कनिष्ठ लिपिक भर्ती हेतु 2013 के अन्तर्गत पर्याप्त संख्या में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण अतिरिक्त अस्थाई प्रतीक्षा सूची दिनांक 9-11-2022 को जारी कर दिनांक 17-11-2022 तक आपत्तियां मांगी गई थी। प्राप्त आपत्तियों के निराकरण उपरान्त अतिरिक्त अस्थाई प्रतीक्षा सूची दिनांक 23-11-2022 को जारी कर विभागीय पोर्टल www.rajpanchayat.rajasthan.gov.in पर अपलोड हेतु प्रेषित कर दी गई है एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है।

उक्त विभागीय वेबपोर्टल पर अपलोड अतिरिक्त द्वितीय प्रतीक्षा सूची में उल्लेखित क्र.सं. 1 से 100 तक के अभ्यर्थी दिनांक 28-11-2022 एवं क्र.सं. 101 से शेष अभ्यर्थी दिनांक 29-11-2022 को दस्तावेज सत्यापन एवं पात्रता जांच हेतु प्रातः 10.00 बजे से कार्यालय समय तक कार्यालय जिला परिषद राजसमन्द के सभागार में अभ्यर्थी अपने साथ आवेदन पत्र मूल दस्तावेज मय स्वप्रमाणित प्रति, वांछित शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेज सहित स्वयं उपस्थित होना सुनिश्चित करावें। सम्बन्धित अभ्यर्थी के निर्धारित दिनांक में उपस्थित नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी को नियुक्ति हेतु विचार नहीं किया जायेगा एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु पुनः अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की रहेगी।

(उत्साह चौधरी) IAS,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद राजसमन्द